शीर्ष प्राथमिकता

संख्या : 2239 /आठ–5–2017

प्रेषक,

स्वामी नाथ पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।
2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 **लखनऊ : दिनांक 31 अगस्त, 2017**

विषयः– विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन कार्यो में लगाये गये सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं की प्रवर्तन अनुभाग में तैनाती अवधि/चार्ज हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन कार्यो में प्रभावी नियन्त्रण हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त अभिकरणों में प्रवर्तन कार्य से सम्बद्ध सहायक अभियन्ताओं को अधिकतम 02 वर्ष से अधिक प्रवर्तन कार्यो से सम्बद्ध न किया जाय एवं किसी जोन/क्षेत्र विशेष का कार्य 06 माह से अधिक न दिया जाय। इसी प्रकार अवर अभियन्ता को प्रवर्तन कार्यो में अधिकतम एक वर्ष से अधिक सम्बद्ध न किया जाय एवं किसी जोन/क्षेत्र में अधिकतम 03 माह से अधिक की अवधि हेतु पदस्थ न किया जाय। इस सम्बन्ध में व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

इस क्रम में यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता किन्ही जोन विशेष के दायित्वों से मुक्त होने की अवधि में निम्न प्रारूप पर चार्ज हस्तान्तरित करेंगे एवं तभी सम्बन्धित अभियन्ता का वेतन आहरित किया जा सकेगा :–

क्र0सं0	जोन/क्षेत्र का नाम	चार्ज लेने की तिथि	चार्ज देने की तिथि	क्षेत्र में हो रहे कुल निर्माणों की संख्या	नियमित रूप से किये जा रहे निर्माणों की संख्या (सूची संलग्न करें)	अनधिकृत रूप से निर्मित किये गये भवनों की संख्या (सूची निम्न प्रारूप में संलग्न करें)
1	2	3	4	5	6	7

M.K. Go-17

5 PM

क्रमांक–7 की संलग्न सूची का प्रारूप

क्र0सं0	अनाधिकृत निर्माणकर्ता का नाम एवं पता	अनाधिकृत निर्माण का क्षेत्रफल एवं तलों की संख्या	धारा–27 एवं 28 की कार्यवाही तिथि	धारा–28(ए) के अन्तर्गत कार्यवाही की स्थिति	धारा–27 के धराशयन आदेश की स्थिति	धारा–27 के आदेश के क्रियान्वयन की स्थिति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

इस सम्बन्ध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपाध्यक्ष, चार्ज हस्तान्तरण की प्रति निदेशक, आवास बन्धु को भी प्रेषित की जाय।

भवदीय,

/

(स्वामी नाथ पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
अनु सचिव।